"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 554] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2017 —— अग्रहायण 30, शक 1939

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–7 / 2017 / 38–2. —— छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्रमांक 775 / पी.यू. / 07 / ओ.एण्ड.एस. / 2015 / 7364, दिनांक 13–10–2017 द्वारा ओ.पी. जिन्दल विश्वविद्यालय, ओ.पी. जिन्दल नॉलेज पार्क, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 16 से 18 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के तहत् किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष कुमार भट्ट, सचिव.

ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)
अध्यादेश क्रमांक 16
बैचलर ऑफ साइंस (बी.एस.सी.) – 03 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम
अधिनियम धारा 28(1)(ख)

1. प्रयोज्यता–

(1) विज्ञान (3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम) में पूर्वस्नातक डिग्री पाठ्यक्रम तीन वर्ष का होगा और यह बैचलर ऑफ साइंस (बी.एस.सी.) के नाम से जाना जायेगा। पाठ्यक्रम के विषयों का निर्धारण स्कूल ऑफ साइंस के अधीन उल्लेखित परिनियम/अध्यादेश के अनुसार होगा।

(2) पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् बी.एस.सी. की उपाधि प्रदान की जायेगी।

(3) उक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थी द्वारा अर्जित किये गये ग्रेडों और क्रेडिटों के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।

2. प्रवेश एवं चयन विधि–

(1) इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी को हायर सेकेण्डारी (10+2) या राज्य/राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त समतुल्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये। एकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदण्ड विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(2) बी.एस.सी. पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्रथम वर्ष के स्तर में शैक्षणिक परिषद द्वारा विहित अनुसार दिया जायेगा। प्रवेश नीति विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा विनिश्चित किया जायेगा। यू.जी.सी. एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का भी अनुसरण किया जायेगा। राज्य की आरक्षण नीति लागू होगी।

(3) अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.), भारतीय मूल के व्यक्ति और विदेशी राष्ट्रीयता वाले की भी बी.एस.सी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र होंगे परंतु वे (10+2)/हायर सेकेण्डरी

परीक्षा या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जायेगा।

(4) विश्वविद्यालय, अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से स्थानांतरण पर बी.एस.सी. पाठ्यक्रम के विद्यार्थी को अनुमति दे सकेगा। ऐसा प्रवेश, पाठ्यक्रम के संबंध में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के अधीन किसी भी स्तर में दी जा सकेगी। परंतु यह कि, इस योजना के अधीन प्रथम वर्ष के दौरान विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) विश्वविद्यालय, असंतोषप्रद शैक्षणिक प्रदर्शन या दुर्व्यवहार के आधार पर उसके कैरियर के किसी प्रक्रम पर उसके अध्ययन को अनियमित कर सकेगा और किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को रद्द करने का अधिकार, आरक्षित रखेगा।

3. पाठ्यक्रम की अवधि–

(1) पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष की होगी जो छः समान सेमेस्टर में विभाजित होगी।

(2) अधिष्ठाता, विज्ञान विद्यापीठ द्वारा कुलपति के अनुमोदन सहित प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर, जिसमें सेमेस्टर अंतराल करना सम्मिलित है, की घोषणा करेगा।

(3) बी.एस.सी. पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को अधिकतम समयावधि पांच वर्ष उपलब्ध कराया जायेगा। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में प्रत्याहरण, अनुपस्थिति और विद्यार्थी को दिये गये विभिन्न प्रकार के अवकाश अनुमति सम्मिलित होंगे परंतु अस्थायी रूप से निकाले जाने की अवधि यदि कोई हो, अपवर्जित होगी। तथापि, विश्वविद्यालय के कुलपति कुछ विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष का विस्तार कर सकेगा।

(4) प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में, प्रत्येक विद्यार्थी को शैक्षणिक कैलेण्डर में विहित समयावधि के भीतर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।

4. **पाठ्यक्रम की संरचना–**

बी.एस.सी. पाठ्यक्रमों की संरचना, परीक्षा की योजना, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम इस संबंध में शैक्षणिक परिषद् द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार होगी।

5. **पाठ्यक्रम का शुल्क–**

बी.एस.सी. पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का निर्धारण विष्वविद्यालय प्रबंध मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अनुमोदन से किया जाएगा।

6. **परीक्षा –**

(1) विश्वविद्यालय अध्ययन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के प्रदर्शन के अभिनिर्धारण के लिए सेमेस्टर एवं सेमेस्टरांत (ईएसई) के दौरान प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) को सम्मिलित करते हुये सतत् मूल्यांकन प्रणाली अंगीकृत करेगा।

(2) पाठ्यचर्या के संपूर्ण घटक के लिये प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) के साथ–साथ सेमेस्टरांत (ईएसई) परीक्षा के लिये विस्तृत परीक्षा योजना शैक्षणिक परिषद द्वारा विहित किया जायेगा।

(3) निम्नलिखित किन्ही कारणों से विद्यार्थियों को कुलपति के अनुमोदन से पीठ के अधिष्ठाता द्वारा सेमेस्टरांत परीक्षा में उपस्थित होने से विवर्जित किया जा सकेगाः

(क) विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जा चुका हो।

(ख) संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर यदि–

(एक) व्याख्यान / ट्यूटोरियल / प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति 75% से कम हो अथवा खण्ड 8 के अनुसार सेमेस्टर में उपस्थित हो।

(दो) सेमेस्टर के दौरान प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) में प्रदर्शन असंतोषप्रद पाया गया हो।

(4) विश्वविद्यालय नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में संपूर्ण परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठ्यक्रम में उपस्थित होने हेतु ऐसे अभ्यर्थी भी समर्थ होंगे जो पूर्व सेमेस्टर परीक्षा में असफल रहे हो या चूक गये हो।

(5) यदि अभ्यर्थी सेमेस्टर परीक्षा को पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर लेता हो तो उसे डिवीजन/अंकों/ग्रेडों या किसी अन्य प्रयोजन से परीक्षा में पुनः बैठने की अनुमति नही दिया जायेगा।

(7) कार्य का मूल्यांकन (निर्धारण)–

(1) अंको का आधार

(क) प्रत्येक सेमेस्टर में अभ्यर्थी प्रदर्शन का मूल्यांकन, सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) को सम्मिलित करते हुए सतत् मूल्यांकन प्रणाली के अनुपालन मे पाठ्यचर्या के घटकों सहित किया जायेगा। पाठ्यचर्या के समग्र/अंतिम परिणाम (ईएसई+पीआरई) में अधिकतम एवं न्यूनतम अंक विद्या परिषद द्वारा घोषित परीक्षा योजना के अनुसार होगा।

(ख) विशिष्ट पाठ्यचर्या में अर्ह होने हेतु अभ्यर्थी को उसी पाठ्य चर्चा के समग्र परिणाम में न्यूनतम अंक अर्जित करने होंगे।

(2) क्रेडिट का आधार

(क) व्याख्यान में (एल) में संपर्क का एक घंटा एक क्रेडिट के बराबर होगा वहां ट्यूटोरियल (टी) एवं/या प्रायोगिक (पी) में संपर्क का दो घंटा एक क्रेडिट के बराबर होगा। अंतः क्रेडिट = (एल+(टी+पी)/2) विषय में क्रेडिट संपूर्ण अंक होगा किन्तु अपूर्णांक अंक नहीं होगा। यदि विषय में क्रेडिट अपूर्णांक में परिवर्तित हो जाता है तो इसे निकटतम संपूर्ण अंक को पूर्णांकित किया जायेगा।

(ख) विद्यार्थी तब ही सेमेस्टर में आवंटित क्रेडिट अर्जित करेगा जब वह उक्त सेमेस्टर उत्तीर्ण करता हो।

(ग) विद्यार्थी बी.एस.सी. की उपाधि प्राप्त करने के लिए तब ही पात्र होगा जब वह पाठ्यक्रम जिसमें वह प्रवेश लिया हो में आवंटित सभी क्रेडिट अर्जित करता हो।

8. उपस्थिति–

किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिये नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक आयोजित व्याख्यान एवं प्रायोगिक कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। परंतु यह कि 5 प्रतिशत तक एवं 5 प्रतिशत से कम की उपस्थिति संतोषप्रद कारण होने पर संबंधित पीठ के अधिष्ठाता एवं कुलपति द्वारा क्षमा किया जा सकता है। तथापि किसी शर्त के बिना अभ्यर्थी जिसकी सेमेस्टर में 65 प्रतिशत से कम की कुल उपस्थिति या प्रतिशत हो, जैसा कि शैक्षणिक परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाये, को सेमेस्टरान्त परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी।

9. उच्च सेमेस्टर में पदोन्नति–

विद्यार्थी पूर्ववर्ती सेमेस्टर के सैद्धांतिक/प्रायोगिक विषय के बैकलॉग के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेष ले सकता है परंतु वह बैकलॉग (n-2) वर्ष का नहीं होना चाहिये। यहॉ n चालू वर्ष को दर्षाता है जिसमें विद्यार्थी को प्रवेष लेना है।

10. क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति–

(1) क्रेडिट के अंतर्गत प्रत्येक पाठ्यक्रम और उसके अधिभार पाठ्यचर्या एवं शैक्षणिक नीति समिति द्वारा अनुशंसित अनुसार होंगे एवं वे शैक्षणिक परिषद् एवं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे। केवल अनुमोदित पाठ्यक्रम किसी सेमेस्टर के दौरान दिया जा सकेगा।

(2) पाठ्यक्रम के लिये पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी लेटर ग्रेड दिया जायेगा। विद्यार्थी को दिया गया लेटर ग्रेड सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) में उसके संयुक्त प्रदर्शन पर निर्भर होगा।

ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

अध्यादेश क्रमांक 17

मास्टर ऑफ साइंस (एम.एस.सी.) – 02 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

अधिनियम धारा 28(1)(ख)

1. **प्रयोज्यता–**

विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एस.सी.) उन अभ्यर्थियों को प्रदान किया जायेगा जो इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार पाठ्यक्रम कार्य एवं परियोजना/शोध निबंध कार्य को विहित समयावधि के भीतर सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हों। पाठ्यक्रम के विषयों का निर्धारण स्कूल ऑफ साइंस के अधीन उल्लेखित परिनियम/अध्यादेश के अनुसार होगा।

2. **प्रवेश एवं चयन विधि–**

(1) प्रवेश नीति विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद् द्वारा समय–समय पर विनिश्चत की जायेगी। यू.जी.सी. एवं राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुसरण किया जायेगा। राज्य की आरक्षण नीति लागू होगी।

(2) अभ्यर्थी, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या यू.जी.सी. द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त एवं मुख्य विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, को एम.एस.सी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने की पात्रता होगी।

(3) उपरोक्त पैरा (2) में उल्लिखित बात के होते हुये भी शासी निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों एवं उचित माध्यम से विदेशी नागरिकों से प्राप्त आवेदनों पर एम.एस.सी. में प्रवेश के लिए विचार किया जा सकेगा तथापि उनका प्रवेश इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा विहित नियमों द्वारा शासित होगा।

(4) एम.एस.सी. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदण्ड, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद् द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा और प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु उद्घोषणा की जायेगी।

(5) एम.एस.सी. उपाधि, विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

3. पाठ्यक्रम की अवधि–

(1) एम.एस.सी. कार्यक्रम की सामान्य अवधि जिसमें प्रोजेक्ट/शोध निबंध कार्य सम्मिलित है चार सेमेस्टर की होगी। अभ्यर्थियों को उद्योग एवं अन्य अनुमोदित संगठनों जैसा कि विनियमों में विहित है अपने परियोजना कार्य को करने की अनुमति दी जा सकेगी।

(2) अधिष्ठाता, विज्ञान विद्यापीठ द्वारा कुलपति के अनुमोदन सहित प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर, जिसमें सेमेस्टर अंतराल करना सम्मिलित है, की घोषणा करेगा।

(3) एम.एस.सी. पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को अधिकतम समयावधि चार वर्ष उपलब्ध कराया जायेगा। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में प्रत्याहरण, अनुपस्थिति और विद्यार्थी को दिये गये विभिन्न प्रकार के अवकाश अनुमति सम्मिलित होंगे परंतु अस्थायी रूप से निकाले जाने की अवधि यदि कोई हो, अपवर्जित होगी।

(4) प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में, प्रत्येक विद्यार्थी को शैक्षणिक कैलेण्डर में विहित समयावधि के भीतर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।

4. पाठ्यक्रम की संरचना–

एम.एस.सी. पाठ्यक्रमों की संरचना, परीक्षा की योजना, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम इस संबंध में शैक्षणिक परिषद् द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार होगी।

5. पाठ्यक्रम का शुल्क–

एम.एस.सी. पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अनुमोदन से किया जाएगा।

6. **परीक्षा–**

(1) विश्वविद्यालय अध्ययन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के प्रदर्शन के अभिनिर्धारण के लिए सेमेस्टर एवं सेमेस्टरांत (ईएसई) के दौरान प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) को सम्मिलित करते हुये सतत् मूल्यांकन प्रणाली अंगीकृत करेगा।

(2) पाठ्यचर्या के संपूर्ण घटक के लिये प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) के साथ–साथ सेमेस्टरांत (ईएसई) परीक्षा के लिये विस्तृत परीक्षा योजना शैक्षणिक परिषद द्वारा विहित किया जायेगा।

(3) निम्नलिखित किन्ही कारणों से विद्यार्थियों को पीठ के अधिष्ठाता द्वारा सेमेस्टरांत परीक्षा में उपस्थित होने से विवर्जित किया जा सकेगाः

(क) विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा चुकी हो।

(ख) संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर यदि–

(एक) व्याख्यान / ट्यूटोरियल / प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति 75% से कम हो अथवा खण्ड 8 के अनुसार सेमेस्टर में उपस्थित हो।

(दो) सेमेस्टर के दौरान प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) में प्रदर्शन असंतोषप्रद पाया गया हो।

(4) विश्वविद्यालय नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में संपूर्ण परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा सैद्धांतिक / प्रायोगिक पाठ्यक्रम में उपस्थित होने हेतु ऐसे अभ्यर्थी भी समर्थ होंगे जो पूर्व सेमेस्टर परीक्षा में असफल रहे हो या चूक गये हो।

(5) विद्यार्थी जो प्रगति समीक्षा परीक्षा में चूक गये हो या असफल हो गये हो, के लिये शिक्षक शैक्षणिक परिषद् अनुमोदन से मेक–अप परीक्षा आयोजित कर सकेगा।

7. **प्रदर्शन का मूल्यांकन (निर्धारण)–**

(1) अंको का आधार

(क) प्रत्येक सेमेस्टर में अभ्यर्थी प्रदर्शन का मूल्यांकन, सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) को सम्मिलित करते हुए सतत् मूल्यांकन प्रणाली के अनुपालन मे पाठ्यचर्या के घटकों सहित किया जायेगा। पाठ्यचर्या के समग्र/अंतिम परिणाम (ईएसई+पीआरई) में अधिकतम एवं न्यूनतम अंक शैक्षणिक परिषद द्वारा घोषित परीक्षा योजना के अनुसार होगा।

(ख) विशिष्ट पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने हेतु अभ्यर्थी को उसी पाठ्यक्रम के समग्र परिणाम में न्यूनतम अंक अर्जित करने होंगे।

(2) क्रेडिट का आधार

(क) व्याख्यान में (एल) में संपर्क का एक घंटा एक क्रेडिट के बराबर होगा वहां ट्यूटोरियल (टी) एवं/या प्रायोगिक (पी) में संपर्क का दो घंटा एक क्रेडिट के बराबर होगा। अंतः क्रेडिट = (एल+(टी+पी)/2) विषय में क्रेडिट संपूर्ण अंक होगा किन्तु अपूर्णांक अंक नहीं होगा। यदि विषय में क्रेडिट अपूर्णांक में परिवर्तित हो जाता है तो इसे निकटतम संपूर्ण अंक को पूर्णांकित किया जायेगा।

(ख) विद्यार्थी तब ही सेमेस्टर में आबंटित क्रेडिट अर्जित करेगा जब वह उक्त सेमेस्टर उत्तीर्ण करता हो।

(ग) विद्यार्थी एम.एस.सी. की उपाधि प्राप्त करने के लिए तब ही पात्र होगा जब वह पाठ्यक्रम जिसमें वह प्रवेश लिया हो में आबंटित सभी क्रेडिट अर्जित करता हो।

8. **उपस्थिति–**

किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिये नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक आयोजित व्याख्यान एवं प्रायोगिक कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति तथा प्रतिशत जैसा कि विद्या परिषद द्वारा विनिश्चित किया जाये आवश्यक है। परंतु यह कि 5 प्रतिशत तक एवं 5 प्रतिशत से कम की उपस्थिति संतोषप्रद कारण होने पर संबंधित संस्थान/स्कूल प्रमुख एवं कुलपति द्वारा क्षमा किया जा सकता है। तथापि किसी शर्त के बिना अभ्यर्थी जिसकी सेमेस्टर में 65 प्रतिशत से कम की कुल उपस्थिति या प्रतिशत हो, जैसा कि शैक्षणिक परिषद् द्वारा विनिशचित किया जाये को सेमेस्टरान्त परीक्षा में उपस्थित होन की अनुमति दी जायेगी।

9. **परियोजना एवं शोध प्रबंध मूल्यांकन–**

(क) शोध प्रबंध/परियोजना कार्यः विद्यार्थी अंतिम सेमेस्टर के दौरान परियोजना कार्य निष्पादित करेगा। विद्यार्थी विज्ञान शाखा के शिक्षकीय स्टॉफ के सदस्यों के पर्यवेक्षण के अधीन परियोजना कार्य करेगा/विद्यार्थी, उद्योग शोध एवं विकास संगठन या अन्य शैक्षिक संस्थान/विश्वविद्यालय जहां परियोजना कार्य करने की पर्याप्त सुविधा विद्यमान हो, के सहयोग से परियोजना निष्पादित करने हेतु ले सकेगा। विभाग से पर्यवेक्षक/गाइड के अतिरिक्त संयुक्त पर्यवेक्षक/सह–गाइड की नियुक्ति विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से उद्योग, शोध प्रयोगशाला या अन्य विश्वविद्यालय से की जा सकेगी। आंतरिक पर्यवेक्षक यदि आवश्यक महसूस करे, विद्यार्थी के परियोजना के संबंध में उद्योग या शोध प्रयोगशाला या शोध विश्वविद्यालय का भ्रमण कर सकेगा।

(ख) शोध निबंध एवं मौखिक परीक्षा– विद्यार्थी का अपने द्वारा किये गये परियोजना कार्य पर शोध निबंध प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। षोध प्रबंध की तीन/चार बाईडिंग प्रति, इस प्रयोजन के लिये उस शैक्षणिक कैलेण्डर में विहित अंतिम

तिथि पर विभाग के प्रमुख को प्रस्तुत किया जायेगा। संक्षिप्त बायोडाटा एवं किये गये परियोजना कार्य के एक पृष्ठ की संक्षेपिका शोध निबंध के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। परीक्षा के लिये विभाग द्वारा सुझाये गये विशेषज्ञों के पैनल से, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त, बाह्य परीक्षक को शोध प्रबंध भेजेगा। शोध निबंध, मौखिक परीक्षा, शैक्षणिक कैलेण्डर में नियत तिथि के अनुसार आयोजित की जायेगी। बाह्य विशेषज्ञ जो शोध प्रबंध का परीक्षण किया हो, मौखिक परीक्षा आयोजित करेगा।

(ग) परियोजना का विस्तार– प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद परियोजना कार्य का विस्तार बहुत विशेष प्रकरणों में विभाग की अनुशंसा पर पीठ के अधिष्ठाता द्वारा छः माह की अधिकतम अवधि के लिये स्वीकृत किया जा सकेगा।

(घ) अभिस्वीकृति– विद्यार्थी उद्योग संगठनों से पर्यवेक्षक द्वारा जारी इस आशय के प्रमाण–पत्र संलग्न करते हुये शोध निबंध में परियोजना पूर्ण करते हुये उद्योग, शोध एवं विकास संगठनों एवं विश्वविद्यालय में शामिल होने या/तथा योगदान करने की अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा।

10. कार्यक्रम में अंतराल लेना–

विद्यार्थी को सेवा ग्रहण करने के लिये कार्यक्रम में अंतराल लेने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। वे पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण कर चुके हों। यदि परियोजना/शोध निबंध कार्य, संगठन, जहां वे कार्यरत हो यदि वे शोध या विकास सुविधा के इच्छुक हो, में अथवा विश्वविद्यालय में पश्चातवर्ती अवधि के दौरान किया जा सकेगा। ऐसा विद्यार्थी, कार्यक्रम को पूरा करने के लिये अधिकतम अवधि के भीतर परियोजना/शोध निबंध पूर्ण करेगा। पश्चात्वर्ती तिथि में परियोजना/शोध निबंध कार्य पूर्ण करने के आशय से किसी भी प्रक्रम में अपना कार्यक्रम अनियमित करने के इच्छुक अभ्यर्थी, इस प्रकार करने के पूर्व संकाय के अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष की अनुमति अभिप्राप्त करेगा।

11. **परियोजना कार्य–**

(1) शोध एवं विकास संगठन, जिसके पास प्रस्तावित क्षेत्र में शोध कार्य की सुविधा है, से प्रायोजित अभ्यर्थी तथा वे अभ्यर्थी जो पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ऐसे संगठन में नियोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे संगठन में अपने परियोजना एवं शोध निबंध कार्य करने हेतु अनुज्ञात किये जा सकेंगे।

(2) नियमित अभ्यर्थी ख्याति प्राप्त शोध एवं विकास इकाई एवं अन्य ख्याति प्राप्त संगठनों में अपने परियोजना एवं शोध निबंध कार्य करने हेतु अनुज्ञात किये जा सकेंगे।

(3) विद्यार्थी जो उद्योग या शोध एवं विकास इकाई एवं अन्य ख्याति प्राप्त संगठनों में परियोजना एवं शोध निबंध कार्य करने हेतु अनुज्ञात किये गये हैं, को ऐसे कार्य की अवधि के लिये विश्वविद्यालय को ट्यूशन एवं अन्य फीस भुगतान करना होगा। वे, विश्वविद्यालय से किसी स्टायफंड/स्कालरशिप/फेलोशिप प्राप्त करने के पात्र नही होंगे यदि वे उद्योग/संगठन जिसमें वे परियोजना/शोध निबंध कार्य कर रहे हों, से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हो।

12. **क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति–**

(1) क्रेडिट के अंतर्गत प्रत्येक पाठ्यक्रम और उसके अधिभार पाठ्यचर्या एवं शैक्षणिक नीति समिति द्वारा अनुशंसित अनुसार होंगे एवं वे शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे। केवल अनुमोदित पाठ्यक्रम किसी सेमेस्टर के दौरान दिया जा सकेगा।

(2) पाठ्यक्रम के लिये पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी लेटर ग्रेड दिया जायेगा। विद्यार्थी को दिया गया लेटर ग्रेड सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) में उसके संयुक्त प्रदर्शन पर निर्भर होगा।

(3) प्रयुक्त किये जाने वाला लेटर ग्रेड एवं उनका समकक्ष संख्या (जिसे ग्रेड प्वाइंट कहा जायेगा), इस संबंध में शैक्षणिक परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार होगा।

(4) लेटर ग्रेड पाठ्यचर्या के प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक एवं प्रत्येक माड्यूल (घटक) के लिये पृथक तौर पर दिया जायेगा।

(5) सेमेस्टर के लिये सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट ऐवरेज (एसजीपीए) सेमेस्टर में विद्यार्थी द्वारा अभिप्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड प्वाइंट के भारित औसत है तथा उस सेमेस्टर में विद्यार्थी के प्रदर्शन को प्रकट करता है। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए एसजीपीए इस संबंध में शैक्षणिक परिषद् द्वारा बनाये गये दिशा निर्देशों के अनुसार संगठित की जायेगी।

(6) क्यूमूलेटिव ग्रेड प्वाइंट ऐवरेज (सीजीपीए) उपाधि कार्यक्रम में उसके प्रवेश के सभी पाठ्यक्रमों के लिये विद्यार्थी द्वारा अभिप्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड प्वाइंट का भारित औसत है तथा विद्यार्थी के संचयी प्रदर्शन को प्रकट करता है। सेमेस्टरांत में सीजीपीए शैक्षणिक परिषद द्वारा बनाये गये दिशा निर्देशों के अनुसार संगठित किया जायेगा।

ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

अध्यादेश क्रमांक 18

मास्टर ऑफ फिलॉसफी (एम.फिल.) – 01 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

अधिनियम धारा 28(1)(ख)

1. **प्रयोज्यता–**

मास्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि (एम.फिल.) उन अभ्यर्थियों को प्रदान किया जायेगा जो इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार पाठ्यक्रम कार्य एवं परियोजना/शोध निबंध कार्य को विहित समयावधि के भीतर सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हों।

2. **प्रवेश एवं चयन विधि–**

(1) प्रवेश नीति विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा समय–समय पर विनिश्चत की जायेगी। यू.जी.सी. एवं राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुसरण किया जायेगा। राज्य का आरक्षण नियम अभिभावी होगा।

(2) अभ्यर्थी, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या यू.जी.सी. द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त एवं मुख्य विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण किया हो, को एफ.फिल. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने की पात्रता होगी बशर्ते वह स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिषत या सात अंकों की ग्रेडिंग प्रणाली में न्यूनतम "B" ग्रेड प्राप्त किया हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/दिव्यांग को 5 प्रतिषत की शिथिलता रहेगी।

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तों में से एक शर्त पूरी करनी होगीः–

(एक) निम्नलिखित किसी एक परीक्षा में अर्ह होनाः– नेट (यूजीसी/सीएसआईआर द्वारा आयोजित), स्लेट, गेट या आईसीएआर/आईएसएमआर/एनबीएचएम आदि द्वारा आयोजित समकक्ष राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा ।

(दो) यूजीसी शिक्षक फेलोशिप धारक।

(4) अभ्यर्थी जो उपरोक्त अनुच्छेद 3 में उल्लिखित शर्तो में से कोई एक शर्त पूरा नहीं करता हो संबंधित शैक्षणिक विभाग के प्रवेश समिति द्वारा आयोजित दोनों, साक्षात्कार द्वारा अनुपालन की गई प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(5) उपरोक्त पैरा (2 से 4) में उल्लिखित बात के होते हुये भी शासी निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों एवं उचित माध्यम से विदेशी नागरिकों से प्राप्त आवेदनों पर एम.फिल. में प्रवेश के लिए विचार किया जा सकेगा तथापि उनका प्रवेश इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा विहित नियमों द्वारा शासित होगा।

(6) एम.फिल. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदण्ड, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद् द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा और प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु उद्घोषणा की जायेगी।

(7) एम.फिल. उपाधि, विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

3. पाठ्यक्रम की अवधि–

(1) एम.फिल. कार्यक्रम की सामान्य अवधि जिसमें प्रोजेक्ट/षोध निबंध कार्य सम्मिलित है चार सेमेस्टर की होगी। अभ्यर्थियों को उद्योग एवं अन्य अनुमोदित संगठनों जैसा कि विनियमों में विहित है अपने परियोजना कार्य को करने की अनुमति दी जा सकेगी।

(2) पीठ के अधिष्ठाता द्वारा कुलपति के अनुमोदन सहित प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर, जिसमें सेमेस्टर अंतराल करना सम्मिलित है, की घोषणा करेगा।

(3) एम.फिल. पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को अधिकतम समयावधि दो वर्ष उपलब्ध कराया जायेगा। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में प्रत्याहरण, अनुपस्थिति और विद्यार्थी को दिये गये विभिन्न प्रकार के अवकाश अनुमति सम्मिलित होंगे परंतु अस्थायी रूप से निकाले जाने की अवधि यदि कोई हो, अपवर्जित होगी।

(4) प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में, प्रत्येक विद्यार्थी को शैक्षणिक कैलेण्डर में विहित समयावधि के भीतर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।

4. पाठ्यक्रम के विषय–

पाठ्यक्रम के विषय उस स्कूल के परिनियम/अध्यादेष में निर्धारित निर्देषों के अनुरुप होगा।

5. पाठ्यक्रम की संरचना–

समस्त एम.फिल. पाठ्यक्रमों की संरचना, परीक्षा की योजना, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम इस संबंध में शैक्षणिक परिषद् द्वारा विहित अनुसार होगी।

6. पाठ्यक्रम का शुल्क–

एम.फिल. पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का निर्धारण विष्वविद्यालय प्रबंध मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विष्वविद्यालय विनियामक आयोग के अनुमोदन से किया जाएगा।

7. परीक्षा–

(1) विश्वविद्यालय अध्ययन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के प्रदर्शन के अभिनिर्धारण के लिए सेमेस्टर एवं सेमेस्टरांत (ईएसई) के दौरान प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) को सम्मिलित करते हुये सतत् मूल्यांकन प्रणाली अंगीकृत करेगा।

(2) पाठ्यचर्या के संपूर्ण घटक के लिये प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) के साथ–साथ सेमेस्टरांत (ईएसई) परीक्षा के लिये विस्तृत परीक्षा योजना शैक्षणिक परिषद द्वारा विहित किया जायेगा।

(3) निम्नलिखित किन्ही कारणों से विद्यार्थियों को पीठ के अधिष्ठाता द्वारा सेमेस्टरांत परीक्षा में उपस्थित होने से विवर्जित किया जा सकेगाः

(क) विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा चुकी हो।

(ख) संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर यदि–

(एक) व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति 75% से कम हो अथवा खण्ड 9 के अनुसार सेमेस्टर में उपस्थित हो।

(दो) सेमेस्टर के दौरान प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) में प्रदर्शन असंतोषप्रद पाया गया हो।

(4) विश्वविद्यालय नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में संपूर्ण परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठ्यक्रम में उपस्थित होने हेतु ऐसे अभ्यर्थी भी समर्थ होंगे जो पूर्व सेमेस्टर परीक्षा में असफल रहे हो या चूक गये हो।

(5) विद्यार्थी जो प्रगति समीक्षा परीक्षा में चूक गये हो या असफल हो गये हो, के लिये शिक्षक विद्या परिषद् अनुमोदन से मेक–अप परीक्षा आयोजित कर सकेगा।

8. प्रदर्शन का मूल्यांकन (निर्धारण)–

(1) अंको का आधार

(क) प्रत्येक सेमेस्टर में अभ्यर्थी प्रदर्शन का मूल्यांकन, सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) को सम्मिलित करते हुए सतत् मूल्यांकन प्रणाली के अनुपालन मे पाठ्यचर्या के घटकों सहित किया जायेगा। पाठ्यचर्या के समग्र/अंतिम परिणाम (ईएसई+पीआरई) में अधिकतम एवं न्यूनतम अंक शैक्षणिक परिषद द्वारा घोषित परीक्षा योजना के अनुसार होगा।

(ख) विशिष्ट पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने हेतु अभ्यर्थी को उसी पाठ्यक्रम के समग्र परिणाम में न्यूनतम अंक अर्जित करने होंगे।

(2) क्रेडिट का आधार

(क) व्याख्यान में (एल) में संपर्क का एक घंटा एक क्रेडिट के बराबर होगा वहां ट्यूटोरियल (टी) एवं/या प्रायोगिक (पी) में संपर्क का दो घंटा एक क्रेडिट के बराबर होगा। अंतः क्रेडिट = (एल+(टी+पी)/2) विषय में क्रेडिट संपूर्ण अंक होगा किन्तु अपूर्णांक अंक नहीं होगा। यदि विषय में क्रेडिट अपूर्णांक में परिवर्तित हो जाता है तो इसे निकटतम संपूर्ण अंक को पूर्णांकित किया जायेगा।

(ख) विद्यार्थी तब ही सेमेस्टर में आवंटित क्रेडिट अर्जित करेगा जब वह उक्त सेमेस्टर उत्तीर्ण करता हो।

(ग) विद्यार्थी एम.फिल. की उपाधि प्राप्त करने के लिए तब ही पात्र होगा जब वह पाठ्यक्रम जिसमें वह प्रवेश लिया हो में आबंटित सभी क्रेडिट अर्जित करता हो।

9. उपस्थिति–

किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिये नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक आयोजित व्याख्यान एवं प्रायोगिक कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति तथा प्रतिशत जैसा कि शैक्षणिक परिषद द्वारा विनिश्चित किया जाये आवश्यक है। परंतु यह कि 5 प्रतिशत तक एवं 5 प्रतिशत से कम की उपस्थिति संतोषप्रद कारण होने पर संबंधित संस्थान/स्कूल प्रमुख एवं कुलपति द्वारा क्षमा किया जा सकता है। तथापि किसी शर्त के बिना अभ्यर्थी जिसकी सेमेस्टर में 65 प्रतिशत से कम की कुल उपस्थिति या प्रतिशत हो, जैसा कि शैक्षणिक परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाये को सेमेस्टरान्त परीक्षा में उपस्थित होन की अनुमति दी जायेगी।

10. **परियोजना एवं षोध प्रबंध मूल्यांकन–**

(क) **शोध प्रबंध /परियोजना कार्य** : विद्यार्थी अंतिम सेमेस्टर के दौरान परियोजना कार्य निष्पादित करेगा। विद्यार्थी विज्ञान शाखा के शिक्षकीय स्टॉफ के सदस्यों के पर्यवेक्षण के अधीन परियोजना कार्य करेगा/विद्यार्थी, उद्योग शोध एवं विकास संगठन या अन्य शैक्षिक संस्थान/विश्वविद्यालय जहां परियोजना कार्य करने की पर्याप्त सुविधा विद्यमान हो, के सहयोग से परियोजना निष्पादित करने हेतु ले सकेगा। विभाग से पर्यवेक्षक/गाइड के अतिरिक्त संयुक्त पर्यवेक्षक/सह–गाइड की नियुक्ति विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से उद्योग, शोध प्रयोगशाला या अन्य विश्वविद्यालय से की जा सकेगी। आंतरिक पर्यवेक्षक यदि आवश्यक महसूस करे, विद्यार्थी के परियोजना के संबंध में उद्योग या शोध प्रयोगशाला या शोध विश्वविद्यालय का भ्रमण कर सकेगा।

(ख) **शोध निबंध एवं मौखिक परीक्षा** : विद्यार्थी का अपने द्वारा किये गये परियोजना कार्य पर शोध निबंध प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शोध प्रबंध की तीन/चार बाईडिंग प्रति, इस प्रयोजन के लिये उस शैक्षणिक कैलेण्डर में विहित अंतिम तिथि पर विभाग के प्रमुख को प्रस्तुत किया जायेगा। संक्षिप्त बायोडाटा एवं किये गये परियोजना कार्य के एक पृष्ठ की संक्षेपिका शोध निबंध के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। परीक्षा के लिये विभाग द्वारा सुझाये गये विशेषज्ञों के पैनल से, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त, बाह्य परीक्षक को षोध प्रबंध भेजेगा। शोध निबंध, मौखिकी, शैक्षणिक कैलेण्डर में नियत तिथि के अनुसार आयोजित की जायेगी। बाह्य विशेषज्ञ जो शोध प्रबंध का परीक्षण किया हो, मौखिक परीक्षा आयोजित करेगा।

(ग) **परियोजना का विस्तार** – प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद परियोजना कार्य का विस्तार बहुत विशेष प्रकरणों में विभाग की अनुशंसा पर पीठ के अधिष्ठाता द्वारा छः माह की अधिकतम अवधि के लिये स्वीकृत किया जा सकेगा।

(घ) **अभिस्वीकृति–** विद्यार्थी उद्योग संगठनों से पर्यवेक्षक द्वारा जारी इस आशय के प्रमाण–पत्र संलग्न करते हुये शोध निबंध में परियोजना पूर्ण करते हुये उद्योग, शोध एवं विकास संगठनों एवं विश्वविद्यालय में शामिल होने या/तथा योगदान करने की अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा।

11. कार्यक्रम में अंतराल लेना–

विद्यार्थी को सेवा ग्रहण करने के लिये कार्यक्रम में अंतराल लेने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। वे पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण कर चुके हों। यदि परियोजना/शोध निबंध कार्य, संगठन, जहां वे कार्यरत हो यदि वे शोध या विकास सुविधा के इच्छुक हो, में अथवा विश्वविद्यालय में पश्चातवर्ती अवधि के दौरान किया जा सकेगा। ऐसा विद्यार्थी, कार्यक्रम को पूरा करने के लिये अधिकतम अवधि के भीतर परियोजना/शोध निबंध पूर्ण करेगा। पश्चात्वर्ती तिथि में परियोजना/शोध निबंध कार्य पूर्ण करने के आशय से किसी भी प्रक्रम में अपना कार्यक्रम अनियमित करने के इच्छुक अभ्यर्थी, इस प्रकार करने के पूर्व संकाय के अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष की अनुमति अभिप्राप्त करेगा।

12. परियोजना कार्य–

(1) शोध एवं विकास संगठन, जिसके पास प्रस्तावित क्षेत्र में शोध कार्य की सुविधा है, से प्रायोजित अभ्यर्थी तथा वे अभ्यर्थी जो पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ऐसे संगठन में नियोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे संगठन में अपने परियोजना एवं शोध निबंध कार्य करने हेतु अनुज्ञात किये जा सकेंगे।

(2) नियमित अभ्यर्थी ख्याति प्राप्त शोध एवं विकास इकाई एवं अन्य ख्याति प्राप्त संगठनों में अपने परियोजना एवं शोध निबंध कार्य करने हेतु अनुज्ञात किये जा सकेंगे।

(3) विद्यार्थी जो उद्योग या शोध एवं विकास इकाई एवं अन्य ख्याति प्राप्त संगठनों में परियोजना एवं शोध निबंध कार्य करने हेतु अनुज्ञात किये गये हैं, को ऐसे कार्य की अवधि के लिये विश्वविद्यालय को ट्यूशन एवं अन्य फीस भगतान करनी होगा। वे,

विश्वविद्यालय से किसी स्टायफंड/स्कालरशिप/फेलोशिप प्राप्त करने के पात्र नही होंगे यदि वे उद्योग/संगठन जिसमें वे परियोजना/शोध निबंध कार्य कर रहे हों, से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हो।

13. **क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति–**

(1) क्रेडिट के अंतर्गत प्रत्येक पाठ्यक्रम और उसके अधिभार पाठ्यचर्या एवं शैक्षणिक नीति समिति द्वारा अनुशंसित अनुसार होंगे एवं वे शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे। केवल अनुमोदित पाठ्यक्रम किसी सेमेस्टर के दौरान दिया जा सकेगा।

(2) पाठ्यक्रम के लिये पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी लेटर ग्रेड दिया जायेगा। विद्यार्थी को दिया गया लेटर ग्रेड सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) में उसके संयुक्त प्रदर्शन पर निर्भर होगा।

(3) प्रयुक्त किये जाने वाला लेटर ग्रेड एवं उनका समकक्ष संख्या (जिसे ग्रेड प्वाइंट कहा जायेगा), इस संबंध में शैक्षणिक परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार होगा।

(4) लेटर ग्रेड पाठ्यचर्या के प्रत्येक विषय, सैद्धांतिक या प्रायोगिक एवं प्रत्येक माड्यूल (घटक) के लिये पृथक तौर पर दिया जायेगा।

(5) सेमेस्टर के लिये सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट ऐवरेज (एसजीपीए) सेमेस्टर में विद्यार्थी द्वारा अभिप्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड प्वाइंट के भारित औसत है तथा उस सेमेस्टर में विद्यार्थी के प्रदर्शन को प्रकट करता है। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए एसजीपीए इस संबंध में शैक्षणिक परिषद् द्वारा बनाये गये दिशा निर्देशों के अनुसार संगठित की जायेगी।

(6) क्यूमूलेटिव ग्रेड प्वाइंट ऐवरेज (सीजीपीए) उपाधि कार्यक्रम में उसके प्रवेश के सभी पाठ्यक्रमों के लिये विद्यार्थी द्वारा अभिप्राप्त पाठ्यक्रम ग्रेड प्वाइंट का भारित औसत है तथा विद्यार्थी के संचयी प्रदर्शन को प्रकट करता है। सेमेस्टरांत में सीजीपीए शैक्षणिक परिषद द्वारा बनाये गये दिशा निर्देशों के अनुसार संगठित किया जायेगा।

Naya Raipur, the 8th December 2017

NOTIFICATION

No. F 3-7/2017/38-2. — Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 775/PU/07/O&S/2015/7364, Dated 13-10-2017 has approved the New Ordinances No. 16 to 18 of O.P. Jindal University, O.P. Jindal Knowledge Park, Village-Punjipathara, Tehsil-Gharghoda, District-Raigarh, Under Section 29(2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

1. The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinances in Official Gazette.

2. The above Ordinances shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ASHISH KUMAR BHATT, Secretary.

O P JINDAL UNIVERSITY, RAIGARH (C. G.)

ORDINANCE NO.16
BACHELOR OF SCIENCE -THREE YEAR DEGREE COURSE
[Act Section 28 (1) (b)]

1. APPLICABILITY

(1) The undergraduate degree Course in Science (3 years Degree Course) shall be of three-year duration, and shall be designated as Bachelor of Science (B.Sc.). The subjects of the Course shall be such as has been mentioned in the Statutes/ Ordinances under the faculty of Science.

(2) The degree of B.Sc. shall be awarded after successful completion of the Course.

(3) The evaluation shall be on the basis of Grades and Credits earned by the student in the said course.

2. ADMISSION PROCEDURE & METHOD OF SELECTION

(1) Every candidate seeking admission to these courses must have passed Higher Secondary (10+2) or an equivalent course recognized from recognized State / National / International Board / University. The eligibility criterion for admission in individual course will be decided by the Academic Council of the University.

(2) Admission to B.Sc. courses shall be offered as prescribed by the academic council, at the first year level. The Admission policy shall be decided by the Academic Council of the University. The guidelines issued by the UGC and the State Government shall be adhered to. The State reservation policy shall applicable.

(3) Non-Resident Indians (NRI), Persons of Indian Origin (PIO) and Foreign National shall also be eligible for admission to B.Sc. Course, provided they have passed (10 + 2) / Higher Secondary Examination or any other equivalent examination. Admission to such candidates shall be made on the basis of the entrance test conducted by the O P Jindal University.

(4) The University may permit a student to B.Sc. Course on transfer from other Institutes/Universities. Such admissions may be made at any level subject to fulfillment of academic requirements of the University in respect of the program. Provided that, no student shall be admitted during the first year, under this scheme.

(5) The University reserves the right to cancel the admission of any student and ask him/her to discontinue his/her studies at any stage of his /her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or misconduct.

3. DURATION OF THE COURSE

(1) The duration of the course shall be three years divided into six equal semesters.

(2) The academic calendar including semester breaks shall be declared by the Dean, School of Science at the beginning of each year with the approval of Vice Chancellor.

(3) The maximum duration available to a student for completion of B.Sc. Course shall be five years. The maximum duration of the course shall include the period of withdrawal, absence and different kinds of leave permissible to a student, but it shall exclude the period of rustication, if any. However, the Vice Chancellor of the University may extend one year duration in some special circumstances.

(4) At the beginning of each semester, every student shall have to register him /herself within the duration prescribed in the academic calendar.

4. STRUCTURE OF THE COURSE

The structure of B.Sc. Courses, Scheme of Examination, Curriculum and Syllabi shall be such as may be prescribed by the Academic Council in this regard.

5. FEE FOR THE COURSE

Fee for the B.Sc. Courses shall be such as may be decided by the Board of Management of the University with the approval of CGPURC.

6. EXAMINATIONS

(1) The University shall adopt the system of continuous evaluation consisting of Progress Review Examination (PRE) during the semester and End Semester Examination (ESE) for assessing the students' performance during the programme of study.

(2) The detailed examination scheme for End Semester Examination (ESE) as well as Progress Review Examination (PRE) for all components of the curriculum shall be laid down by the Academic Council.

(3) A student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of the School with the approval of Vice Chancellor, due to any of the following reasons:

(a) Disciplinary action has been taken against the student.

(b) On the recommendation of concerned Head of the department, if

(i) The attendance in the Lecture / Tutorial / Practical classes is below 75% or as provided in clause (8) of attendance, in the semester.

(ii) The performance in the Progress Review Examination (PRE) during the Semester has been found unsatisfactory.

(4) The University shall conduct full examination at the end of each semester for the regular students. This examination will also enable those students to appear in the theory / practical courses who may have failed or missed the previous semesters' examination.

(5) If a candidate has passed a semester examination in full he / she shall **NOT** be permitted to reappear in that examination for improvement in division / marks / grades or for any other purpose.

7. EVALUATION (ASSESSMENT) OF PERFORMANCE

(1) BASIS OF MARKS

(a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated with the component of the curriculum following the system of continuous evaluation consisting of End Semester Examinations (ESE) and Progress Review Examinations (PRE). The maximum and minimum marks in the composite /final result (ESE+ PRE) of curriculum shall be as per the examination scheme declared by the Academic Council.

(b) To pass (qualify) the particular curriculum a candidate has to score minimum marks in the composite result of that curriculum.

(2) BASIS OF CREDITS

(a) One hour of contact lecture (L) shall be equal to one credit whereas two hours of contact tutorial (T) and / or practical (P) shall be equal to one credit. Thus, Credit = $\{L + (T+P)/2\}$. Credit in a subject shall be a whole number, not fractional number. If a credit in a subject turns out in fraction, then it shall be rounded up to nearest whole number.

(b) A candidate shall earn the credits allotted to a semester only when he/she passes the said semester.

(c) A candidate shall be eligible for the award of degree of B. Sc., only when he / she earns all the credits allotted to the course in which he / she has taken admission.

8. ATTENDANCE

Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend at least 75 percent of the lectures and practical classes held separately in each subject of the course of study, provided that a short fall in attendance up to 5% and a further 5% can be condoned by the Dean of the School and Vice-Chancellor of the University respectively for satisfactory reasons. However, under no condition, a candidate who has an aggregate attendance of less than 65% or the percentage as may be decided by the Academic Council in a semester shall be allowed to appear in the End Semester Examination.

9. PROMOTION TO HIGHER SEMESTERS

A student shall be allowed to carry the backlog of theory/practical subjects of the preceding semester but shall not be permitted to carry any backlog of (n-2) year, where n is current year in which the student is to take the admission.

10. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

(1) Each course along with its weightage in terms of credits shall be recommended by the concerned Curriculum and Academic Policy Committee and shall be approved by the Academic Council and the Governing Body. Only approved courses can be offered during any semester.

(2) Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter grade awarded to a student shall depend upon his combined performance in the End Semester Examination (ESE) and Progress Review Examination (PRE).

O P JINDAL UNIVERSITY, RAIGARH (C. G.)

ORDINANCE NO.17
MASTER OF SCIENCE (M.Sc.) – TWO YEAR DEGREE COURSE
[Act Section 28 (1) (b)]

1. APPLICABILITY

The degree of Master of Science (M. Sc.) shall be awarded to a candidate, who as per the provisions of this Ordinance, has successfully completed the Course work and Project/Dissertation work within the prescribed time period for the said course. The subjects of the course shall be such as has been mentioned in the Statutes/ Ordinances under the faculty of Science.

2. ADMISSION PROCEDURE & METHOD OF SELECTION

(1) The Admission policy shall be as decided from time to time by the Academic Council of the University. The guidelines issued by UGC and the State Government shall be adhered to. The State reservation policy shall applicable.

(2) Candidates who have passed graduation course with the relevant subjects as one of the major subject from any recognized university or an equivalent body duly recognized by UGC, shall be eligible to apply for admission to the M. Sc. programme.

(3) Notwithstanding what has been stated in (2) above, the candidates sponsored by organizations recognized by the Governing Body and applications from foreign nationals received through proper channel may be considered for admission to the M. Sc. Their admission shall, however, be governed by the rules prescribed by the University in this respect.

(4) The eligibility criteria for admission to the M. Sc. programme shall be as decided by the Academic Council of the University from time to time and announced by the University for Admission each year.

(5) The award of the M. Sc. Degree shall be in accordance with the Ordinance of the University.

3. DURATION OF THE COURSE

(1) The normal duration of the M. Sc. programme including project/Dissertation work shall be four semesters. Candidates may be permitted to do their project work in industry and other approved organizations as prescribed in the regulations.

(2) The academic calendar including semester breaks shall be declared by the Dean, School of Science at the beginning of each year with the approval of the Vice Chancellor.

(3) The maximum duration available to a student for completion of M. Sc. Course shall be four years. The maximum duration of the course shall include the period of withdrawal, absence and different kinds of leave permissible to a student, but it shall exclude the period of Rustication, if any.

(4) At the beginning of each semester, every student shall have to register himself/herself within the duration prescribed in the academic calendar.

4. STRUCTURE OF THE COURSE

The structure of all M. Sc. Courses, Scheme of Examination, Curriculum and Syllabi shall be such as may be prescribed by the Academic Council in this regard.

5. FEE FOR THE COURSE

Fee for the M.Sc. courses shall be such as may be decided by the Board of Management of the University with the approval of CGPURC.

6. EXAMINATIONS

(1) The University shall adopt the system of continuous evaluation consisting of Progress Review Examination (PRE) during the semester and End Semester Examination (ESE) for assessing the students' performance during the programme of study.

(2) The detailed examination scheme for End Semester Examination (ESE) as well as Progress Review Examination (PRE) for all components of the curriculum shall be prescribed by the Academic Council in this respect.

(3) A student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of the School due to any of the following reasons:

(a) Disciplinary action has been taken against the student.

(b) On the recommendation of concerned Head of the department, if

(i) The attendance in the Lecture / Tutorial / Practical classes is below 75% or as per Clause (8) of "attendance", in the semester.

(ii) The performance in the Progress Review Examination (PRE) during the Semester has been found unsatisfactory.

(4) The University shall conduct full examination at the end of each semester for the regular students. This examination will also enable those students to appear in the theory / practical courses who may have failed or missed the previous semesters' examination.

(5) The teacher may conduct the makeup examination for the students who have missed or failed in the Progress Review Examination, with the approval of the Academic Council.

7. EVALUATION (ASSESSMENT) OF PERFORMANCE

(1) BASIS OF MARKS

(a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated with the component of the curriculum following the system of continuous evaluation consisting of End Semester Examinations (ESE) and Progress Review Examinations (PRE). The maximum and minimum marks in the composite / final result (ESE+ PRE) of curriculum shall be as per the examination scheme declared by the Academic Council.

(b) To pass (qualify) the particular curriculum a candidate has to score minimum marks in the composite result of that curriculum.

(2) BASIS OF CREDITS

(a) One hour of contact in lecture (L) shall be equal to one credit where as two hours of contact in tutorial (T) and / or practical (P) shall be equal to one credit. Thus, Credit = $\{L + (T+P)/2\}$. Credit in a subject shall be a whole number, not fractional number. If a credit in a subject turns out in fraction then it shall be rounded off to the nearest whole number.

(b) A candidate shall earn the credits allotted to a semester only when he/she passes the said semester.

(c) A candidate shall be eligible for the award of degree of M. Sc., only when he / she earns all the credits allotted to the course in which he / she has taken admission.

8. ATTENDANCE

Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend 75 percent or the percentage as may be decided by the Academic Council of the lectures and practical classes held separately in each subject of the course of study, provided that a short fall in attendance up to 5% and a further 5% can be condoned by the Head of the Institute / School and Vice-Chancellor of the University respectively for satisfactory reasons. However, under no condition, a candidate who has an aggregate attendance of less than 65% or the percentage as may be decided by the Academic Council in a semester shall be allowed to appear in the End Semester Examination.

9. PROJECT & THESIS EVALUATION

(a) **Thesis / Project work:** A student will carry out project work during the last semester. A student shall carry out the project work under the supervision of a member of teaching staff of the School of Science. A student may undertake to execute the project in collaboration with an industry, Research and Development Organization or another academic Institution /

University where sufficient facilities exist to carry out the project work. In addition to the Supervisor / Guide from the Department, a Joint Supervisor / Co-Guide may be appointed from the Industry, a Research Laboratory or another University with the approval of the HOD. The Internal Supervisor /Guide may, if felt necessary, visit the Industry, or the Research Laboratory or the Research University in connection with the project of a student.

(b) **Dissertation and Viva- Voce:** A student shall be required to submit a dissertation on the Project Work carried out by him/her. Three/Four bound copies of the thesis will be submitted to the Head of the department by the last date prescribed in the Academic Calendar for the purpose. A brief bio-data and a one-page abstract of the project work carried out will be required to be appended to the dissertation. The thesis will be sent to external examiner, appointed by the University, from a panel of experts suggested by the Department for examination. Dissertation viva voce will be held as per the date fixed in Academic Calendar. The external expert who examined the thesis will conduct the viva voce.

(c) **Extension of project:** Extension of project work beyond the submission deadline may be granted in a very special case by the Dean of School of Science on the recommendation of the Department for a maximum period of 6 months.

(d) **Acknowledgement:** Student shall acknowledge involvement and /or contribution of the industry, R & D organization or University in completing the project in the dissertation by appending the certificate to this effect, issued by the supervisor from that industrial organization.

10. BREAK IN THE PROGRAMME

Students may be permitted to take a break in the programme for joining a job provided that they have completed the course work. The project/Dissertation work may be done during a later period either in the organization where they work if it has desired Research and Development facility, or in the University. Such students shall complete the project/Dissertation work within the maximum duration for completion of the programme. Students desirous of discontinuing their programme at any stage with the intention of completing the project/Dissertation work at a later date shall seek and obtain the permission of the Dean of the Faculty / Head of the Department before doing so.

11. PROJECT WORK

(1) Sponsored candidates from Research and Developmental Organizations which have facilities of research work in the area proposed and those students who get employment in such organization after completion of the coursework, may be permitted to carry out their project and dissertation work in such organizations.

(2) Regular candidates may also be permitted to carry out their project and dissertation work in reputed Research and Development units and other reputed Organizations.

(3) The students who are permitted to do the project and dissertation work in an industry or Research and Development units and other reputed Organizations, shall have to pay the tuition and other fees to the University for the duration of such work. They shall not be eligible to receive any stipend / scholarship / fellowship from the University if they are receiving any financial support from the industry/ organization in which they are doing the project / dissertation work.

12. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

(1) Each course along with its weightage in terms of credits shall be as recommended by the Curriculum & Academic Policy Committee and shall be approved by the Academic Council. Only approved courses can be offered during any semester.

(2) Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter grade awarded to a student shall depend upon his combined performance in the End Semester Examination (ESE) and Progress Review Examination (PRE).

(3) The letter grades to be used and their numerical equivalents (called the Grade Points) shall be as per the regulations framed by the Academic Council in this respect.

(4) The letter grades shall be awarded for each subject, theoretical or practical and for each module (component) of the curriculum separately.

(5) The Semester Grade Point Average (SGPA) for a semester is a weighted average of course grade points obtained by a student in a semester and reflects the performance of a student in that semester. The SGPA for each semester shall be calculated as per the guidelines framed by the Academic Council in this regard.

(6) The Cumulative Grade Point Average (CGPA) is the weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his / her admission to the degree programme and reflects the Cumulative performance of a student. The CGPA at the end of nth semester shall be calculated as per the guidelines framed by the Academic Council.

O P JINDAL UNIVERSITY, RAIGARH (C. G.)

ORDINANCE NO.18
MASTER OF PHILOSOPHY (M. Phil.) – ONE YEAR DEGREE COURSE
[Act Section 28 (1) (b)]

1. APPLICABILITY

The degree of Master of Philosophy (M. Phil.) shall be awarded to a candidate who as per the provisions of this Ordinance has successfully completed the course work and Project/Dissertation work within the prescribed time period.

2. ADMISSION PROCEDURE & METHOD OF SELECTION

(1) The Admission policy shall be as decided from time to time by the Academic Council of the University. The guidelines issued by UGC and the State Government shall be adhered to. The State reservation policy shall applicable.

(2) Candidates who have passed Master's degree with the relevant subject as one of the major subject from any recognized university or an equivalent body duly recognized by UGC, shall be eligible to apply for admission to the M. Phil. Programme, provided he/she has obtained at least 55% at the post graduate examination or at-least 'B' grade in seven point grading system. A relaxation of 5% may be provided for the Scheduled Caste / Scheduled Tribe /Other Backward Class (non-creamy layer) / Differently abled categories.

(3) In addition to the above, a candidate must also fulfill any one of the following conditions:

(i) Qualified in any of the following examinations: NET (conducted by UGC/CSIR), SLET, GATE, or equivalent national level examinations conducted by ICAR/ICMR/NBHM etc.

(ii) Holder of UGC teacher fellowship.

(4) Candidates who do not fulfill any of the conditions mentioned in article no. 3 above, must qualify in the Entrance Test followed by an interview, both to be conducted by the Admission Committee of the concerned academic Department.

(5) Notwithstanding what has been stated in (2 to 4) above the candidates sponsored by organizations recognized by the Governing Body and applications from foreign nationals received through proper channel may be considered for admission to the M. Phil programme. Their admission shall, however, be governed by the rules prescribed by the University in this respect.

(6) The eligibility criteria for admission to the M. Phil. programme shall be as decided by the Academic Council of the University from time to time and announced by the University for Admission each year.

(7) The award of the M. Phil. Degree shall be in accordance with the Ordinance of the University.

3. DURATION OF THE COURSE

(1) The normal duration of the M. Phil. programme including project/Dissertation work shall be two semesters. Candidates may be permitted to do their project work in industry and other approved organizations as prescribed in the Ordinance.

(2) The academic calendar including semester breaks shall be declared by the Dean of School at the beginning of each year with the approval of the Vice Chancellor.

(3) The maximum duration available to a student for completion of M. Phil. Course shall be two years. The maximum duration of the course shall include the period of withdrawal, absence and different kinds of leave permissible to a student, but it shall exclude the period of Rustication, if any.

(4) At the beginning of each semester, every student shall have to register himself/herself within the duration prescribed in the academic calendar.

4. SUBJECTS OF THE COURSE

The subjects of the course shall be such as has been mentioned in the Statutes/Ordinances under the respective faculties.

5. STRUCTURE OF THE COURSE

The structure of all M. Phil. Courses, Scheme of Examination, Curriculum and Syllabi shall be such as may be prescribed by the Academic Council in this regard.

6. FEE FOR THE COURSE

Fee for the course shall be such as may be decided by the Board of Management of the University with the approval of CGPURC.

7. EXAMINATIONS

(1) The University shall adopt the system of continuous evaluation consisting of Progress Review Examination (PRE) during the semester and End Semester Examination (ESE) for assessing the students' performance during the programme of study.

(2) The detailed examination scheme for End Semester Examination (ESE) as well as Progress Review Examination (PRE) for all components of the curriculum shall be prescribed by the Academic Council in this respect.

(3) A student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of the School due to any of the following reasons:

(a) Disciplinary action has been taken against the student.

(b) On the recommendation of concerned Head of the department, if

(i) The attendance in the Lecture / Tutorial / Practical classes is below 75% or as per clause (9) of "attendance" determined by the Academic Council, in the semester.

(ii) The performance in the Progress Review Examination (PRE) during the Semester has been found unsatisfactory.

(4) The University shall conduct full examination at the end of each semester for the regular students. This examination will also enable those students to appear in the theory / practical courses who may have failed or missed the previous semesters' examination.

(5) The teacher may conduct the makeup examination for the students who have missed or failed in the Progress Review Examination, with the approval of the Academic Council.

8. EVALUATION (ASSESSMENT) OF PERFORMANCE

(1) BASIS OF MARKS

(a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated with the component of the curriculum following the system of continuous evaluation consisting of End Semester Examinations (ESE) and Progress Review Examinations (PRE). The maximum and minimum marks in the composite / final result (ESE+ PRE) of curriculum shall be as per the examination scheme declared by the Academic Council.

(b) To pass (qualify) the particular curriculum a candidate has to score minimum marks in the composite result of that curriculum.

(2) BASIS OF CREDITS

(a) One hour of contact in lecture (L) shall be equal to one credit where as two hours of contact in tutorial (T) and / or practical (P) shall be equal to one credit. Thus, Credit = $\{L + (T+P)/2\}$. Credit in a subject shall be a whole number, not fractional number. If a credit in a subject turns out in fraction, then it shall be rounded off to the nearest whole number.

(b) A candidate shall earn the credits allotted to a semester only when he/she passes the said semester.

(c) A candidate shall be eligible for the award of degree of M. Phil., only when he / she earns all the credits allotted to the course in which he / she has taken admission.

9. ATTENDANCE

Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend 75 percent or the percentage as may be decided by the Academic Council of the lectures and practical classes held separately in each subject of the course of study, provided that a short fall in attendance up to 5% and a further 5% can be condoned by the

Head of the Institute / School and Vice-Chancellor of the University respectively for satisfactory reasons. However, under no condition, a candidate who has an aggregate attendance of less than 65% or the percentage as may be decided by the Academic Council in a semester shall be allowed to appear in the End Semester Examination.

10. PROJECT & THESIS EVALUATION

(a) **Thesis / Project work:** A student will carry out project work during the last semester. A student shall carry out the project work under the supervision of a member of teaching staff of the School of Science. A student may undertake to execute the project in collaboration with an industry, Research and Development Organization or another academic Institution / University where sufficient facilities exist to carry out the project work. In addition to the Supervisor / Guide from the Department, a Joint Supervisor / Co-Guide may be appointed from the Industry, a Research Laboratory or another University with the approval of the HOD. The Internal Supervisor /Guide may, if felt necessary, visit the Industry, or the Research Laboratory or the Research University in connection with the project of a student.

(b) **Dissertation and Viva- Voce:** A student shall be required to submit a dissertation on the Project Work carried out by him/her. Three/Four bound copies of the thesis will be submitted to the Head of the department by the last date prescribed in the Academic Calendar for the purpose. A brief bio-data and a one-page abstract of the project work carried out will be required to be appended to the dissertation. The thesis will be sent to external examiner, appointed by the University, from a panel of experts suggested by the Department for examination. Dissertation viva voce will be held as per the date fixed in Academic Calendar. The external expert who examined the thesis will conduct the viva voce.

(c) **Extension of project:** Extension of project work beyond the submission deadline may be granted in a very special case by the Dean of School of Science on the recommendation of the Department for a maximum period of 6 months.

(d) **Acknowledgement:** Student shall acknowledge involvement and /or contribution of the industry, R & D organization or University in completing the project in the dissertation by appending the certificate to this effect, issued by the supervisor from that industrial organization.

11. BREAK IN THE PROGRAMME

Students may be permitted to take a break in the programme for joining a job provided that they have completed the course work. The project/Dissertation work may be done during a later period either in the organization where they work if it has desired Research and Development facility, or in the University. Such students shall complete the project/Dissertation work within the maximum duration for completion of the programme. Students desirous of discontinuing their programme at any stage with the intention of completing the project/Dissertation work at a later date shall seek and obtain the permission of the Dean of the Faculty / Head of the department before doing so.

12. PROJECT WORK

(1) Sponsored candidates from Research and Developmental Organizations which have facilities of research work in the area proposed and those students who get employment in such organization after completion of the coursework, may be permitted to carry out their project and dissertation work in such organizations.

(2) Regular candidates may also be permitted to carry out their project and dissertation work in reputed Research and Development units and other reputed Organizations.

(3) The students who are permitted to do the project and dissertation work in an industry or Research and Development units and other reputed Organizations, shall have to pay the tuition and other fees to the University for the duration of such work. They shall not be eligible to receive any stipend / scholarship / fellowship from the University if they are receiving any financial support from the industry/ organization in which they are doing the project / dissertation work.

13. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

(1) Each course along with its weightage in terms of credits shall be as recommended by the Curriculum & Academic Policy Committee and shall be approved by the Academic Council. Only approved courses can be offered during any semester.

(2) Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter grade awarded to a student shall depend upon his combined performance in the End Semester Examination (ESE) and Progress Review Examination (PRE).

(3) The letter grades to be used and their numerical equivalents (called the Grade Points) shall be as per the regulations framed by the Academic Council in this respect.

(4) The letter grades shall be awarded for each subject, theoretical or practical and for each module (component) of the curriculum separately.

(5) The Semester Grade Point Average (SGPA) for a semester is a weighted average of course grade points obtained by a student in a semester and reflects the performance of a student in that semester. The SGPA for each semester shall be calculated as per the guidelines framed by the Academic Council in this regard.

(6) The Cumulative Grade Point Average (CGPA) is the weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his / her admission to the degree programme and reflects the Cumulative performance of a student. The CGPA at the end of nth semester shall be calculated as per the guidelines framed by the Academic Council.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.